न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 122/2012

1. बाबूलाल पुत्र मथुरालाल
2. गिरिराज पुत्र छोटूलाल
3. कान्ति बाई बेवा छोटूलाल

} जातियान माली निवासीगण सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. लालचन्द पुत्र माधोलाल
2. भेरी बाई पत्नि लालचन्द
3. महावीर पुत्र लालचन्द
4. धनराज पुत्र लालचन्द

} जातियान माली निवासीगण सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील प्रतिवादी : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांकः 19.07.2012 निर्णय दिनांक : 09.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की पारिवारिक शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 596 खसरा नं0 2871 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2872 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2873/5706 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2875 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 2876 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 वाके माल सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमे से खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0 व खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 भूमि को ही विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

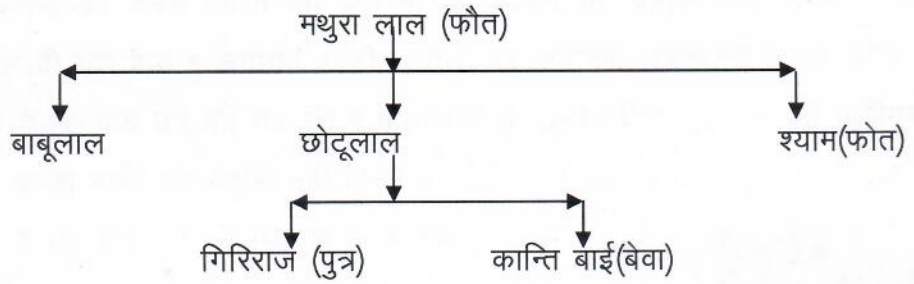

वादीगण खातेदार मथुरालाल के वारिसान है। मथुरालाल के फौत हो जाने के बाद अनभिज्ञता में का इन्तकाल नही खुलवा सके। एवं वादीगण ही वर्तमान में मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर काश्त है। वादीगण अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/2 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी व नालिशी है। वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 ने खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0 व खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 भूमि को जबरन हांकने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगणो के द्वारा दिनांक 15.12.2012 को शाम के समय उक्त विवादित खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0 व खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 को हांकने के लिए ट्रेक्टर भी खेंत पर भेज दिया। जिसे वादीगणो द्वारा रोककर वापिस भेजा गया। प्रतिवादीगण बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जे काश्त की आराजी को हांकन को प्रयासरत है। अतः निवेदन है कि वादीगण को मृतक मथुरालाल के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावें तथा एक स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0 व खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दंखलअंदाजी ना तो स्वयं करने और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.07.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1, 2, 3 व 4 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 की ओर से दिनांक 17.06.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा में प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 ने अंकन किया किः–

1. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
2. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 पारिवारिक सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
4. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 ने कभी भी वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी को हांकने का प्रयास नही किया है बल्कि वादीगण प्रतिवादी गण कम 1 लगायत 4 की आराजी पर वादीगण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है।
5. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण की आराजी पर कब्जा करने का प्रयास नही किया है।
6. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।

7. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
8. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी पर कब्ज करने की धमकी नही दी है।
9. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 9 व 10 कानूनी है।

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने अपने जवाब दावा में विशेष कथन का अंकन निम्नानुसार किया कि:–

01. यह है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी माल सीसवाली की खसरा नं0 2871 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2872 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2873/5706 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2875 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 2876 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 आराजी वादीगण के खाते की भूमि नही है। उपर वर्णित आराजी मथुरा पिता मन्ना माली निवासी सीसवाली के खाते दर्ज है। वादीगण का उक्त आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नही है।
02. यह है कि वादीगण ने उक्त आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा हैं।
03. यह है कि प्रतिवादी गण ने वाद पत्र में वर्णित आराजी पर कभी कब्जा करने का प्रयास नही किया है।
04. प्रतिवादीगण ने वादी नं0 2 को एक वर्ष के लिए सन 2010 में प्रतिवादीगण की आराजी खाता संख्या 882 रकबा 0.80 है0 मुनाफा काश्त पर जुपाई थी। वादी क्रम 2 ने प्रतिवादीगण की आराजी पर कब्जा कर लिया।
05. वादीगण से कब्जा हटवाकर प्रतिवादीगण उक्त कब्जा शुदा आराजी को अपने कब्जे मे लेकर अपनी खाते की आराजी पर काश्त कर रहे है।
06. वादीगण प्रतिवादीगण की खाते की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास करते रहते है।

अतः जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जावे। प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 882 खसरा नं0 2866 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 2867 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 2868/5893 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 2874 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 0.80 है0 पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास ना करें। ना हि किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें। प्रतिवादीगण को शांतीपर्वक काश्त करने देवें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण की दिनांक 09.04.2018 को बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री दया कृष्ण पाकड व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने अपनी–अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जिसे उन्होने क्रमशः अपने दावा व जवाब दावा में अंकन किया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस पर मनन करने के बाद वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वादीगण की पारिवारिक शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 596 खसरा नं0 2871 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2872 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2873/5706 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2875 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 2876 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 में हिस्सा 1/2 पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 596 खसरा नं0 2871 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2872 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 2873/5706 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 2875 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 2876 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 2878 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4619 रकबा 0.26 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 में हिस्सा 1/2 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।